पत्रांकः 1499 /27(20)/स0ले0भर्ती/नि0को0वि0से0/2009–10,

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मीरोड डालनवाला
देहरादून

सेवा में,

समस्त कोषागार अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनॉकः 22 नवम्बर,2010

विषयः **सहायक लेखाकार के 175 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के सम्बन्ध में संशोधित विज्ञप्ति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः 466/XXVII (6)/2010, दिनांकः 18 नवम्बर 2010, द्वारा सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के 175 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने हेतु अब शैक्षिक अर्हता में संशोधन किया गया है। (छाया प्रति संलग्न) शैक्षिक अर्हता में संशोधन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

उक्त भर्ती विषयक पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांकः 21 अप्रैल 2010 एवं संशोधित विज्ञप्ति 23 मई 2010, की छाया प्रतियां इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि इसे अपने कोषागार के नोटिस बोर्ड पर **(अर्भ्थियों की जानकारी हेतु)** चम्पा करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

22/XI/10

(जी0 के0 पन्त)
निदेशक।

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखंड
23-लक्ष्मी रोड डालनवाला-देहरादून

विज्ञप्ति

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों में सहायक लेखाकार के 175 पदों पर वेतनमान 5200–20200 "ग्रेड पे–2800" की सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन–पत्र पर निम्नांकित जनपदवार रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्तमान में रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है, जो कि परीक्षाफल घोषित होने तक घट–बढ़ सकती हैं।

क्र. सं.	जनपद का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
1	देहरादून	11	6	1	1	19
2	हरिद्वार	7	2	0	0	9
3	उधमसिंहनगर	7	1	0	1	9
4	नैनीताल	7	3	1	1	12
5	अल्मोड़ा	13	5	1	2	21
6	पिथौरागढ़	12	3	1	1	17
7	चम्पावत	2	1	0	0	3
8	बागेश्वर	4	0	0	0	4
9	नई टिहरी	5	6	1	0	12
10	उत्तरकाशी	6	3	0	0	9
11	चमोली	7	6	1	2	16
12	रूद्रप्रयाग	8	2	0	1	11
13	पौड़ी गढ़वाल	21	7	1	3	32
14	नई दिल्ली	1	0	0	0	1
	योगः–	111	45	7	12	175

1. **आवेदक किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकता है।**

2. **शैक्षिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकान्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेबिल का प्रमाण–पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन प्रति घन्टा की न्यूनतम गति होनी चाहिए।**

3. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा, यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो।

4. आयु :– अभ्यर्थी की आयु **01 जनवरी, 2010** को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

5. चरित्र :– सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो तथा अन्तिम रूप से चयनित होने की स्थिति में उसे निर्धारित प्रमाण–पत्र परस्तुत करने होंगे।

6. **वैवाहिक प्रास्थिति** :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो।

7. **शारीरिक स्वस्थता** :– किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए, अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट या अनुमोदित किसी अन्य चिकित्साधिकारी से जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

8. आरक्षित पदों हेतु उत्तराखण्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। उक्त आरक्षण में उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों हेतु 05 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु 02 प्रतिशत, विकलांग हेतु 03 प्रतिशत, राज्य के आन्दोलनकारियों हेतु 10 प्रतिशत, कुशल खिलाड़ियों हेतु 04 प्रतिशत, उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

9. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निरस्त कर दिये जायेंगे।

10. शैक्षिक योग्यता/आयु/प्रशिक्षण, सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की अंक तालिका/अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए।

11. चयन के लिए 100–100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगीं। परीक्षा अवधि 3 घण्टे की होगी। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्न लिखित रीति से तैयार की जायेगी।

एक (क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें एक भाग में 100 अंकों का "बी कॉम" या समकक्ष स्तर के पाठ्यकम से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे जिसमें कि इस योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी से आमतौर पर उत्तर देने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग भी 100 अंकों का होगा जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका (**Answer sheet**) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लिकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (**Answer key**) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट WWW.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) कम्प्यूटर संचालन परीक्षा के लिए 5000 की – डिप्रेशन पर आवर की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(च) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों यथा स्थिति, कम्प्यूटर परीक्षा के अंकों के जोड़ के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) जनपदवार तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

12. अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति की तिथि से पूर्व का वैध (Valid) पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

13. आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0 200/–(रू0 दो सौ) अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 100/– (एक सौ रुपया) तथा सभी वर्ग के निःशक्तों के लिए रू0 50/–(पचास रूपये) का होगा जो कि आवेदन पत्र कय करते समय आवेदक द्वारा अदा किया जायेगा। **(आवेदन पत्र निरस्त होने पर आवेदन पत्र शुल्य एवं परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा)**

14. ओ0 एम0 आर0 शीट युक्त आवेदन पत्र जनपद के प्रत्येक सदर कोषागार से निर्धारित शुल्क अदा करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा **आवेदन पत्र वितरण की अवधि दिनांक 22–04–2010 से 20–05–2010 तक होगी।**

15. पूर्ण रुप से भरे आवेदन–पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित **दिनांक 25–05–2010 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट, से संयोजक (परीक्षा एवं चयन) "लैम्बर्ट स्क्वायर" गैस्ट हाउस, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर –263145**, के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। कोरियर तथा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होगे।

16. जो अभ्यर्थी जिस कोषागार के लिए अन्तिम रूप से चयनित होंगे उन्हें उनके पद के अनुरूप कार्य एवं आवश्यकतानुसार कोषागार एवं उपकोषागार में तैनात किया जायेगा। नियुक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची जनपदवार तैयार की जायेगी।

17. परीक्षां की तिथि, **समय व स्थान** यथा समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

18. इस विज्ञापन के द्वारा नियुक्तियों की प्रकिया से सम्बन्धित किसी भी विवाद में या कोई भी सूचना देने के लिए गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर सीधे उत्तरदायी या वादी नहीं होगा। विश्वविद्यालय केवल विभाग के माध्यम से उत्तरदायी होगा।

निदेशक

कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखंड

सू.एवं लोसंवि, पत्रांक : 784 दि. 20.4.10

अमर उजाला देहरादून, रविवार, 23 मई, 2010

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून

'विज्ञप्ति'

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों में सहायक लेखकार के 175 पदों पर वेतनमान रु. 5200-20200 'ग्रेड पे'-2800 की सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को दैनिक जागरण व अमर उजाला समाचार पत्रों में विज्ञप्ति छपवायी गयी थी।

इस विज्ञप्ति में शैक्षिक अर्हता :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेबिल का प्रमाण-पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की-डिप्रेशन प्रति घन्टा की न्यूनतम गति होनी चाहिए के स्थान पर अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम भारत सरकार के संस्थान **"Department of Electronics Accredited Computer Course"** द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेबिल का प्रमाण-पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की न्यूनतम गति होनी चाहिए का आंशिक संशोधन किया जाता है। अब आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 मई, 2010 के स्थान पर दिनांक 30 मई, 2010 तक होगी तथा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 25 मई, 2010 के स्थान पर दिनांक 05 जून, 2010 तक होगी।

निदेशक

सू. एवं लो.सं.वि. पत्रांक : 1031, दि. 22/05/2010

कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

संख्या: 1498 /27(20)/स0ले0भ0/नि0को0वि0से0/2009.

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
(विज्ञापन प्रभाग), देहरादून।

दिनॉक: 22 नवम्बर, 2010

विषय: **राज्य के कोषागारों में सहायक लेखाकार के 175 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए संशोधित "विज्ञप्ति" प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों में सहायक लेखाकार के 175 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के सम्बन्ध में "आवेदन--पत्र" आमंत्रित किये जाने के आशय से विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र **"अमर उजाला"** तथा **"दैनिक जागरण"** के कुमांऊ एवं गढ़वाल के दोनों संस्करणों में दिनांक: 21 अप्रैल 2010 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक: 23 मई 2010 को "प्रकाशित" करायी गयी थी।

उक्त के अनुक्रम में पुन: **संशोधित "विज्ञप्ति"** इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इस विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र **"अमर उजाला"** तथा **"दैनिक जागरण"** के कुमांऊ एवं गढ़वाल के **दोनों संस्करणों में आज ही "प्रकाशित" करवाने का कष्ट करें।**

संलग्नक: उक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0 के0 पन्त)
निदेशक।

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड

23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।

"संशोधित विज्ञप्ति"

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड के कोषागारों में सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के 175 पदों पर वेतनमान 5200–20200 "ग्रेड पे" 2800 की सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 21 अप्रैल,2010 को एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23 मई 2010 को दैनिक जागरण व अमर उजाला समाचार पत्रों में प्रकाशित गयी थी।

उक्त विज्ञप्ति में शैक्षिक अर्हता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी तथा कम्प्यूटर संचालन में भारत सरकार के संस्थान "Department of Electronics Accredited Computer Course" (DOEAC) द्वारा प्रदत्त "ओ" लेबिल प्रमाण–पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन प्रति घन्टे की गति न्यूनतम होनी चाहिए, रखी गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: 466/XXVII (6)/2010, दिनांक: 18 नवम्बर 2010, द्वारा उक्त पदों हेतु **अब शैक्षिक अर्हता निम्न प्रकार रखी गयी है** :–

"सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा राज्य अथवा भारत सरकार के संस्थान "Department of Electronics Accredited Computer Course" (DOEAC) द्वारा प्रदत्त "ओ" लेबिल प्रमाण–पत्र **या राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक वर्ष के कम्प्यूटर कोर्स के प्रमाण–पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन प्रति घन्टे की गति होनी चाहिए।"**

1. **जो अभ्यर्थी उपरोक्त संशोधित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।** आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रकिया एवं अन्य औपचारिकताएं दिनांक 21 अप्रैल 2010 **की विज्ञप्ति के अनुसार ही होगी।**
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त **शैक्षिक** अर्हता को पूर्ण करते हुये दिनांक 21 अप्रैल 2010 की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन किया हो एवं जिनका आवेदन पत्र पूर्ण हो, उन्हें अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि **15 दिसम्बर 2010** एवं पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **27 दिसम्बर 2010** निर्धारित की जाती है।
4. पूर्व में प्रकाशित दिनांक: 21 अप्रैल 2010 एवं 23 मई 2010, की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जानकारी अभ्यर्थी जिस जनपद से आवेदन कर रहा है उसी जनपद के कोषागार के नोटिस बोर्ड पर देख सकता है। निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड की **बेवसाइट**– ekosh.uk.gov.in अथवा NIC की बेवसाइड www.ua.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. उक्त भर्ती से सम्बन्धित समस्त फार्म जनपद के कोषागारों से कार्यालय समय पर निर्धारित शुल्क (सामान्य श्रेणी/पिछड़ा वर्ग, के अभ्यर्थियों के लिए रू0 200, तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 100, तथा सभी वर्ग के निःशक्तों के लिए रू0 50,) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया हो तथा जिनकी शैक्षिक/कम्प्यूटर अर्हता पूर्ण न हो तथा वर्तमान में संशोधित अर्हता को पूर्ण करते हों, तो वे अभ्यर्थी पुनः आवेदन कर सकते हैं।

7. अभ्यर्थी आवेदन पत्र क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त पदों के लिए अर्हता रखते हैं।

8. अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को "**संयोजक (परीक्षा एवं चयन), लैम्बर्ट स्कॅवायर गेस्ट** हाउस, गोविन्द **बल्लभ पन्त, कृषि एवं प्रौद्यौगिकी** विश्वविद्यालय, पन्तनगर–263145 जिला ऊधमसिंहनगर के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते हैं।

निदेशक

कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।